म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/अंके/विभा/सं.शु./3123 भोपाल, दिनांक 27/03/19

प्रति,

संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .... (म.प्र.)

विषयः–प्रदेश की मंडी समितियों की संपरीक्षा शुल्क भुगतान के संबंध में।
संदर्भः–कार्यालय का पत्र क्रमांक/बोर्ड/अंके/विभा/सं.शु./3958–3959 दिनांक 15.06.2016.

––0––

मंडी बोर्ड को शासन से ऋण की कुल राशि रूपये 90.00 करोड़ एवं उस पर देय ब्याज राशि प्राप्त होना है। उक्त ऋण एवं ब्याज के विरूद्ध मंडी बोर्ड एवं प्रदेश की मंडी समितियों द्वारा देय स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क से समायोजन के प्रस्ताव चाहे गये है। उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में मंडी समितियों को स्थानीय निधि संपरीक्षा का अंकेक्षण शुल्क की राशि के देय भुगतान स्थगित रखे जाने के निर्देश संदर्भित पत्र से दिये गये ।

दिनांक 22.03.2019 को प्रबंध संचालक महोदय की अध्यक्षता में संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा से चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गई कि शासन को दिये गये ऋण राशि रूपये 90.00 करोड़ के निर्णय तक दिनांक 31.03.2019 तक के संपरीक्षा शुल्क के भुगतान पूर्ववत स्थगित रहेगे।

दिनांक 01.04.2019 एवं उसके पश्चात देय स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।

<u>**प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित**</u>

अपर संचालक (वित्त)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/अंके/विभा/सं.शु./3124 भोपाल, दिनांक 27/03/19

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, सतपुडा भवन, द्वितीय तल, खण्ड 'ग' भोपाल।
3. उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय .... की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ... जिला .... की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त निर्देशानुसार स्थानीय निधि संपरीक्षा को संपरीक्षा शुल्क भुगतान करने की कार्यवाही करे।

अपर संचालक (वित्त)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल